

तारिख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुक्म क
में जारी

नीयाराम

N/S धन्नाराम

168/2006

27.10.20

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने अवलोकन पत्रावली ज्ञात हुआ कि साबिका आदेश दिनांक 25.05.2018 को कैम्प ग्राम पंचायत जौचिणा तहसील जायल में बावजूद पर्याप्त समय दिये जाने पर भी साक्ष्यवादी पेश नहीं करने से साक्ष्यवादी बंद कर दी गई है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में साक्ष्यवादी बंद हो चुकी है। जिससे वादीगण वाद पत्र को साबित करने में असफल रहे है। अतः वादीगण का वाद बावजूद साक्ष्यवादी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्यवादी पेश करने में असमर्थ रहे है तथा वादपत्र को साबित करने में असफल रहने पर प्रकरण हाजा खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर